Manmadha Mandal | R.M.M Law College - Saharsa
part time lecturer | Subject - Contract - 1
Part - 1

प्रतिज्ञा (promise) धारा (2 ख) — प्रस्थापना स्वीकार किये जाने पर प्रतिज्ञा के रूप में परिणत हो जाती है। इस आधार पर प्रतिज्ञा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "स्वीकार किया गया प्रस्ताव ही प्रतिज्ञा है (Accepted proposal is promise) धारा 2 ख के अनुसार "प्रस्थापना जब प्रतिगृहीत (स्वीकार) हो गई तो वह प्रतिज्ञा हो जाती है। इस प्रकार प्रतिज्ञा का अस्तित्व प्रस्थापना के पश्चात उत्पन्न होता है। विधिक दृष्टि से प्रतिज्ञा का अर्थ प्रतिगृहीत प्रस्थापना (Accepted proposal) है न कि प्रस्तावित प्रतिज्ञा (promise offered)। जैसे कि एक वाद में पत्र द्वारा यह प्रार्थना की गई कि नायक द्वारा कुछ रूपया लोन दिया जाय जो ब्याज सहित कुछ दिन बाद वापस की जायेगी। न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह केवल मात्र प्रस्ताव ही था। प्रस्ताव को प्रतिज्ञा के रूप में परिणत करने के लिए उसका मात्र प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति कतिपय गुणों से युक्त होनी चाहिए।
(i) स्वीकृति अनर्हित एवं पूर्ण हो, (ii) इसकी पूर्ण संसूचना हो (iii) यह निर्धारित तरीके से या उचित तरीके से की गई हो (iv) उचित समय के अन्तर्गत हो।

प्रतिज्ञा के प्रकार (kinds of promise)—

① अभिव्यक्त प्रतिज्ञा (Express promise) → संविदा अधिनियम की धारा-9 Express promise को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार- "जब किसी प्रतिज्ञा की प्रस्थापना अथवा उसका प्रतिग्रहण लिखित अथवा मौखिक शब्दों में किया जाता है तो प्रतिज्ञा को अभिव्यक्त कहा जायगा।

② विवक्षित प्रतिज्ञा (Implied promise) धारा-9 — जब किसी प्रतिज्ञा की प्रस्थापना अथवा प्रतिग्रहण शब्दों के अन्यथा किया जाता है तो उस प्रतिज्ञा को अलक्षित कहा जायगा। बहुत से भारतीय संव्यवहार विवक्षित संविदाओं पर भी आधारित रहते हैं जो लिखित या मौखिक न होकर पक्षकारों के आचरण पर आधारित होते हैं। जैसे- कोई व्यक्ति टैक्सी या बस पर सवारी करता है तो वह परोक्ष रूप से किराया देने के लिए सहमत होता है। उसी प्रकार कोई ग्राहक बुक स्टॉल से पुस्तक या समाचार पत्र लेकर लिखित मूल्य देना स्वीकार करता है। ऐसी प्रस्थापना व प्रतिग्रहण पूर्णरूपेण मान्य है। यद्यपि इनमें किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

I.C. प्रतिज्ञा (promise)

ऑयल-विधि के अनुसार- यह आवश्यक है कि प्रतिज्ञा व प्रतिग्रहण दोनों आचरण द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार जिस संविदा के अन्तर्गत शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उसे विवक्षित संविदा कहते हैं। जैसे एक मछली वाला अपना मछली को बास्केट में रखकर प्रस्थापना करता है, जैसे ही ग्राहक मूल्य चुका कर मछली खरीद लेता है तो स्वत: प्रतिज्ञा का गठन हो जाता है। मूल्य चुका कर मछली लेने का कार्य प्रतिग्रहण है। विवक्षित प्रतिज्ञा का स्पष्ट उदाहरण अपटोन रूरल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाम पावेल के वाद में भी मिलता है।

③ पारस्परिक प्रतिज्ञा (Reciprocal promise)— "प्रतिज्ञाएँ जो कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हैं, पारस्परिक प्रतिज्ञाएं कहलाती हैं।" जब किसी करार के अन्तर्गत reciprocal promise रहती है तो प्रत्येक पक्षकार पर अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के पालन, और दूसरे की प्रतिज्ञाओं को प्रतिग्रहीत करने का आभार होता है। इस प्रकार संक्षेप यह कहा जा सकता है कि पारस्परिक प्रतिज्ञा वहाँ पर होती है जहाँ पर प्रतिज्ञा के बदले प्रतिज्ञा की जाती है और दोनों पक्षकारों अपनी-अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करना होता है। ("where promise is given in exchange of promise and both parties have yet to perform their respective promise")

④ पर्यायित या वैकल्पिक प्रतिज्ञा (Alternate promise)— Alternate [redacted] promise वह है जिसमें दो बातों में से एक का चुनाव करना पड़ता है, अर्थात यह विकल्प रहता है कि दो बातों में एक का पालन होना चाहिए। जैसे- अ और ब करार करते हैं कि अ ब को 100 रु० देगा, जिसके बदले में ब उसे चावल या गेहूं परिदत्त करेगा।

यहाँ ब की प्रतिज्ञा वैकल्पिक है। यदि दोनों बाते मान्य है तो भी उनमें से एक का पालन होना आवश्यक होता है। लेकिन यदि दो बातों में से एक वैध एवं दूसरी अवैध है तो ऐसी अवस्था मे अवैध वाला भाग अमान्य है, वैध भाग मान्य है, जिसका पालन आवश्यक है। तीसरी अवस्था में यदि प्रतिज्ञा की स्थिति स्पष्ट नहीं है तो पूरी की पूरी प्रतिज्ञा अमान्य होगी।

Scanned with CamScanner